

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 158]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 मार्च 2014—चैत्र 3, शक 1936

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2014

क्र. एफ-31-23-1980-दो-सी-1.—मध्यप्रदेश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का. सं. 65) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अक्टूबर 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है.

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा:—

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | मान. न्यायमूर्ति श्री अजीत सिंह | अध्यक्ष |
| 2. | मान. न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन | सदस्य |
| 3. | मान. न्यायमूर्ति श्री यू. सी. महेश्वरी | सदस्य |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2014

क्र. एफ-31-23-1980-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

Bhopal, the 24th March 2014

F. No. 31-23-1980-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980) and in super session of this department's notification of even number dated 7th October 2010 the State Government hereby re-constitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act. The Advisory Board henceforth shall be as follows:—

- | | | |
|----|--------------------------------------|----------|
| 1. | Hon'ble Justice Shri Ajit Singh | Chairman |
| 2. | Hon'ble Justice Shri Rajendra Menon | Member |
| 3. | Hon'ble Justice Shri U.C. Maheshwari | Member |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. P. GUPTA, Secy.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2014

क्र. एफ-31-23-1980-दो-सी-1.—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1980 (1980 का. सं. 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अक्टूबर 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है।

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा:—

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | मान. न्यायमूर्ति श्री अजीत सिंह | अध्यक्ष |
| 2. | मान. न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन | सदस्य |
| 3. | मान. न्यायमूर्ति श्री यू. सी. महेश्वरी | सदस्य |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2014

क्र. एफ-31-23-1980-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

Bhopal, the 24th March 2014

F. No. 31-23-1980-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (No. 52 of 1974) and in super session of this department's notification of even number dated 7th October 2010 the State Government hereby re-constitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act. The Advisory Board henceforth shall be as follows:—

- | | | |
|----|--------------------------------------|----------|
| 1. | Hon'ble Justice Shri Ajit Singh | Chairman |
| 2. | Hon'ble Justice Shri Rajendra Menon | Member |
| 3. | Hon'ble Justice Shri U.C. Maheshwari | Member |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. P. GUPTA, Secy.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2014

क्र. एफ-31-23-1980-दो-सी-1.—प्रिवेन्शन ऑफ इलिसिट ट्राफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्राएॅपिक सब्स्टेन्सेस एक्ट, 1988 (1988 का सं. 46) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अक्टूबर 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है।

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा:—

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | मान. न्यायमूर्ति श्री अजीत सिंह | अध्यक्ष |
| 2. | मान. न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन | सदस्य |
| 3. | मान. न्यायमूर्ति श्री यू. सी. महेश्वरी | सदस्य |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2014

क्र. एफ-31-23-1980-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

Bhopal, the 24th March 2014

F. No. 31-23-1980-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (No. 46 of 1988) and in supersession of this department's notification of even number dated 7th October 2010 the State Government hereby re-constitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act. The Advisory Board henceforth shall be as follows:—

- | | | |
|----|--------------------------------------|----------|
| 1. | Hon'ble Justice Shri Ajit Singh | Chairman |
| 2. | Hon'ble Justice Shri Rajendra Menon | Member |
| 3. | Hon'ble Justice Shri U.C. Maheshwari | Member |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. P. GUPTA, Secy.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2014

क्र. एफ-31-23-1980-दो-सी-1.—चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 07) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 अक्टूबर 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है।

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा:—

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | मान. न्यायमूर्ति श्री अजीत सिंह | अध्यक्ष |
| 2. | मान. न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन | सदस्य |
| 3. | मान. न्यायमूर्ति श्री यू. सी. महेश्वरी | सदस्य |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2014

क्र. एफ-31-23-1980-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

Bhopal, the 24th March 2014

F. No. 31-23-1980-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Black marketing and Maintenance of supplies of Essential Commodities Act, 1980 (No. 07 of 1980) and in supersession of this department's notification of even number dated 7th October 2010 the State Government hereby re-constitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act. The Advisory Board henceforth shall be as follows:—

- | | | |
|----|--------------------------------------|----------|
| 1. | Hon'ble Justice Shri Ajit Singh | Chairman |
| 2. | Hon'ble Justice Shri Rajendra Menon | Member |
| 3. | Hon'ble Justice Shri U.C. Maheshwari | Member |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. P. GUPTA, Secy.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2014

क्र. एफ-31-23-1980-दो-सी-1.—मध्यप्रदेश विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम, 2000 (2001 का. सं. 17) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है।

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा:—

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | मान. न्यायमूर्ति श्री अजीत सिंह | अध्यक्ष |
| 2. | मान. न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र मेनन | सदस्य |
| 3. | मान. न्यायमूर्ति श्री यू. सी. महेश्वरी | सदस्य |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2014

क्र. एफ-31-23-1980-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

Bhopal, the 24th March 2014

F. No. 31-23-1980-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Madhya Pradesh Vishesh Kshetra Suraksha Adhinyam, 2000 (No. 17 of 2001) and in supersession of this State Government hereby re-constitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act. The Advisory Board henceforth shall be as follows:—

- | | | |
|----|--------------------------------------|----------|
| 1. | Hon'ble Justice Shri Ajit Singh | Chairman |
| 2. | Hon'ble Justice Shri Rajendra Menon | Member |
| 3. | Hon'ble Justice Shri U.C. Maheshwari | Member |

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. P. GUPTA, Secy.